<u>शिकायत कमांक सी–22 / रा.सू.आ. / 39–5 / सतना / 05</u>

श्री नागेन्द्र तिवारी, शिकायतकर्ता
ग्राम पोस्ट तिघरा कला,
तहसील मैहर, जिला सतना

विरूद्ध

अनुविभागीय अधिकारी , लोक सूचना अधिकारी
मैहर, जिला सतना

श्री मनीष रस्तोगी,
कलेक्टर, सतना

<u>आदेश दिनांक 26 अप्रैल, 2006</u>

श्री नागेन्द्र तिवारी ने एक शिकायत सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में जो व्यवस्था है, उसके संबंध में प्रस्तुत की है । इस आवेदन के संबंध में शिकायतकर्ता का यह कहना है कि आम जनता के अवलोकनार्थ सुलभ तौर से और किसी अन्य स्थान पर लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के संबंध मे कोई जानकारी नहीं उपलब्ध करायी गई और आवेदन पत्र ग्राहय नही किये जाते हैं । यदि यदाकदा आवेदन पत्र लिये जाते हैं तो उनका निपटारा नहीं किया जाता है । दूसरी शिकायत उनकी यह है कि शारदा प्रबंधक समिति जिसके कलेक्टर अध्यक्ष हैं और अनुविभागीय अधिकारी प्रशासक हैं, में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है । उन्होंने बताया कि दिनांक 29.102005 एवं 3.11.2005 को उन्होंने आवेदन दिया था जिनका निपटारा नहीं किया गया है । तीसरी शिकायत श्री नारायण दास तिवारी ने जो आवेदन दिनांक 14.10. 2005 को दिया था उसका निपटरा आज तक नहीं किया गया है

2. इस प्रकरण में कलेक्टर सतना से शिकायत में जो बिन्दु उठाये गये हैं उनके सम्बन्ध में प्रतिवदेन प्राप्त किया गया । इस प्रकरण में कलेक्टर सतना को दिनांक 21 अप्रैल, 2006 को सुना गया उस दिन श्री नागेन्द्र तिवारी जिनको कि उपस्थिति के लिये नोटिस भेजा गया था और जिन्हें एक अन्य अपीन के प्रकरण में उपस्थित होना था, वे उपस्थित नहीं हुये । उनकी तरफ से यह पत्र प्राप्त हुआ था कि उनका एक प्रकरण दिनांक 25 अप्रैल, 2006 को है अतः उसे उस दिन के प्रकरण के साथ सुना जाये । शिकायतकर्ता के निवेदन को देखते हुये कलेक्टर सतना को जो कि उपस्थित हुये थे उनको इस शिकायत के संबंध में सुन लिया गया था और उन्हें दिनांक25.4.2006 की सुनवाई तक कार्यालयीन रिकार्ड भेजने के लिये निर्देश दिये गये थे । दिनांक 25 अप्रैल, 2006 को शिकायतकर्ता को सुन गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने दिनांक 29.10.2005 और दिनांक 3.11.2005 के आवेदन पत्र दिये गये थे लेकिन उनका निपटारा नहीं किया गया है । इससे यह स्पष्ट है कि आवेदन पत्र लेने की व्यवस्था है। इससे यह भी स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नामों की जानकारी भी उपलब्ध है अन्यथा शिकायतकर्ता सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गम आवेदन देने में कठिनाई होती है या वह आवेदन पत्र नहीं दे पाता । इसलिये यह शिकायत निराधार पायी जाती है ।

3.   दूसरी शिकायत शारदा प्रबंधक समिति के कार्यालय में भर्रेशाही से संबंधित है और भर्रेशाही किसी प्रकार की है उसका कोई भी विवरण शिकायतकर्ता ने न तो शिकायत में दिया है और न मौखिक सुनवाई के समय बतलाया है । उन्होने इन दोनो आवेदन पत्रों की प्रतियां भी शिकायत के साथ नहीं लगाई है जिससे कि यह जानकारी मिल सके कि किस प्रकार की भर्रेशाही के संबंध में वह आयोग का ध्यान दिलाना चाहता है । कलेक्टर के प्रतिवेदन के अनुसार शिकायतकर्ता ने दिनांक 29. 10.2005 के पत्र से ग्राम पंचायत तिघराकला के तत्कालीन संरपच को सिविल कारावास में सुर्पुद किये जाने की कार्यवाही का विवरण चाहा गया था । इस सरपंच के विरूद्ध संहिता की धारा 44 – 2 के अधीन अपीलीय प्रकरण क्रमांक 110/अपील/04–05 आदेश दिनांक 22.11.2005 द्वारा पारित किया जा चुका है । इस निर्णय की प्रति किसी भी पक्ष के द्वारा प्राप्त की जा सकती है । आवेदन पत्र में शिकायतकर्ता ने यह उल्लेख नहीं किया है कि उन्हें किस प्रकार की जानकारी चाहिये । जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि शिकायतकर्ता ने आवेदन पत्र की प्रति नहीं लगाई है जिसके आधार पर यह जानकारी प्राप्त हो सके कि उनकी शिकायत का स्वरूप क्या है ? यह भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने कोई आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (1) प्रस्तुत किया था जो उन्हे चाहिये था कि यदि निर्धारित अवधि में उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी तो वे प्रथम अपील करते । ऐसी स्थिति में इस शिकायत पर किसी प्रकार की कार्यवाही आयोग के द्वारा संभव नही है ।

4.   तीसरी शिकायत श्री नारायण दास तिवारी के आवेदन दिनांक 14 अक्टूबर,2005 से संबंधित है । श्री नाराण दास तिवारी ने दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 को कतिपय जानकारी प्राप्त करने के लिये आवेदन अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व,मैहर को दिया था जिसकी जानकारी शिकायकता के अभिकथन के अनुसार उन्हें नही मिल पायी है । इस शिकायत के संबंध में कलेक्टर का यह कहना है कि दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 के आवेदन के द्वारा उन्होने क्या जानकारी चाही थी यह स्पष्ट नहीं है । मैने इस आवेदन को देखा है । श्री नारायण दास तिवारी ने शारदा माता मन्दिर को संचालित करने हेतु जो आवेदन दिनांक 2.6.2005 को प्रशासक शारदा सेवा प्रबंध समिति को दिया था उसमें लिये गये निर्णय का सम्पूर्ण विवरण चाहा है । सामान्यतः यदि किसी आवेदन में श्री तिवारी को जानकारी नहीं मिली थी तो उन्हें प्रथम अपील करना चाहिये थी जो उन्होने नहीं की है अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि संबंधित प्रकरण में श्री नारायण दास तिवारी को बिना शुल्क अवलोकन के लिये उपलब्ध कराये जाये और यदि वे किसी पृष्ट की प्रति चाहते हैं तो वह उन्हें प्रदान की जाये ।

5.   उपरोक्त निर्देशों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना अधिकारी
26 अप्रैल, 2006